न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बरेली
जमानत प्रार्थनापत्र सं0–527/2026
CNRNo.UPBR01-009411-2024

1. झब्बू पुत्र तुलाराम राजपूत,
निवासी–गॉधीनगर, थाना शाही, जिला बरेली।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **.....विपक्षी/अभियोजन पक्ष**

अन्तर्गत धारा 452,352,427,504 भा0दं0सं0
व 3(1)द,ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना–शाही, जिला–बरेली
मु0अ0सं0–194/**2018**
वाद संख्या 5957/2019

07.03.2026

उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **झब्बू** ने उपरोक्त आपराधिक प्रकरण में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्तरिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया और उसे अन्तरिम जमानत प्राप्त हुई। तदोपरान्त वह वर्तमान समय में अन्तरिम जमानत पर हैं। आज उसने इस न्यायालय में आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पर बल दिया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के तरफ से विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा सोमपाल द्वारा न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 सोमपाल बनाम झब्बू आदि प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा दिनॉक 17.07.2018 को स्वीकार करते हुये थाने पर अभियोग पंजीकृत किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया। दिनॉक 31.07.2018 को समय 20:40 बजे थाना शाही पर पंजीकृत किया गया, जिसमें कथन किया गया है कि प्रार्थी सोमपाल मोहल्ला गांधीनगर कस्बा व थाना शाही, बरेली का रहने वाला है। झब्बू व मनोहर लाल, निवासी मोहल्ला गॉधी नगर, कस्बा शाही, जिला बरेली मिलकर रोजाना शराब पीकर उसके दरवाजे पर आकर गंदी–गंदी गालियॉ देते हैं तथा उत्पात मचाते हैं और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं और समझाने पर लाठी–डंडा लेकर झगड़े पर अमादा हो जाते हैं। दिनॉक 02.05.2018 को समय करीब 08:00 बजे रात्रि उपरोक्त मुल्जिमान शराब पीकर आये और बोले साले मादरचोद चमट्टे तू बहुत बड़ा नेता बनता है। हमको तू सलाम क्यों नहीं करता, तेरा दिमाग ज्यादा खराब हो गया है। ऐसा करते हुये घर में घुस आये और उसका दरवाजा तोड़ दिया। उसके ऊपर जान लेवा हमला कर दिया। बचाने के लिए उसकी पत्नी और बच्चे आये, तो उनपर भी उसे छोड़कर झपट पड़े व लूट खसोट कर घटना स्थल से गांव के अन्य लोग आने पर वहॉ से भाग गये। उपरोक्त के आधार पर थाना शाही में मु0अ0सं0 0194/2018 अंतर्गत धारा 452,427,504,352 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1) द, ध पंजीकृत किया गया। बाद विवेचना उपरान्त उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्तगण झब्बू व मनोहर लाल के विरूद्ध धारा

452,427,504,352 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1) द, ध में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त ने जमानत प्रार्थना पत्र में आधार लिया है कि अभियुक्त निर्दोष है। उसे झूठा रंजिशन फंसाया गया है। एफ0आई0आर0 विलम्ब से है। जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। घटना स्थल सार्वजनिक नहीं है। वादी के अनुसार घटना वादी के घर के अंदर हुयी है। प्रधानी चुनाव की रंजिश के आधार पर फंसाया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है । इन आधारों पर याचना की गयी है कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

उपरोक्त प्रकरण में वादी पर तामीला पर्याप्त है। वह न्यायालय में उपस्थित नहीं है और न ही उसके द्वारा उपरोक्त जमानत प्रार्थना–पत्र पर कोई आपत्ति दाखिल की गयी।

राज्य की तरफ से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया है तथा तर्क व्यक्त किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा घटना वाले दिन सह अभियुक्त मनोहर लाल के साथ मिलकर वादी को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गन्दी–गन्दी गालियां देते हुए घर में घुसकर मारपीट तथा रिष्टि कारित की गयी है अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण की धारायें 7 वर्ष या उससे कम के कारावास से दण्डनीय है। प्रार्थीगण इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 03.02.2026 के द्वारा अन्तरिम जमानत पर हैं, उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतएव मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Satender Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation and Ors. Special Leave to Appeal (Crl.) No. 5191 of 2021 Decided On 07-10-2021** में प्रतिपादित किये गये विधि सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए वाद के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत हेतु आधार पर्याप्त है। तदनुसार प्राथी/अभियुक्त का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **झब्बू** द्वारा वर्तमान मामले में प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को द्वारा रूपये–**25,000**/–का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि के एक प्रतिभू निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रस्तुत करने पर नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाता है :–

1. प्रार्थी/अभियुक्त आरोप विरचित दिनांक तथा बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्षी को किसी भी प्रकार से डरायेगा, धमकायेगा नहीं और न ही अभियोजन साक्ष्य से छेडछाड़ करेगा।

3. प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर अवमुक्त होने के उपरान्त न्यायालय में नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा तथा विचारण में सहयोग करेगा जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा जमानत अवधि में कोई अविधिक क्रिया कलाप नहीं करेगा।

(विजेन्द्र त्रिपाठी),
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बरेली।
जे0ओ0 कोड यू0पी0–6160

दिनांकः 07.03.2026

Digitally signed by VIJENDRA TRIPATHI
Date: 2026.03.10 10:31:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court